उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2
संख्याः– /XXX(2)/2020/30(05)2014
देहरादूनः दिनांक 12 नवम्बर, 2020

कार्यालय–ज्ञाप

राज्याधीन सेवाओं में निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के संबंध में क्षैतिज आरक्षण की अनुमन्यता के संबंध में कार्यालय ज्ञाप संख्या–232, दिनांक 26 सितम्बर, 2018 द्वारा भारत सरकार के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (अधिनियम संख्या–49/2016) दिनांक 27.12.2016 के क्रम में दिशा–निर्देश निर्गत किये गये थे।

2– राज्याधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं, सार्वजनिक उद्यमों/निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं के अंतर्गत सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व एवं समान अवसर के दृष्टिगत कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के शासनादेश संख्या–124, दिनांक 22 मई, 2020 द्वारा पद आधारित रोस्टर नीति का निर्धारण किया गया है।

3– राज्य में पद आधारित रोस्टर नीति लागू होने के उपरांत दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के संबंध में कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 26 सितम्बर, 2018 में आंशिक संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त कार्यालय ज्ञाप के प्रस्तर 11, 12(क), 12(ख) एवं 19 को निम्नवत् पढ़ा जायः–

11. पदोन्नति में आरक्षण की गणनाः–

राज्याधीन सेवाओं में समूह "क" "ख" "ग" एवं "घ" के पदों पर पदोन्नति हेतु संबंधित अधिष्ठान में समूह "ख" "ग" एवं "घ" से सीधी भर्ती कोटे के अन्तर्गत उपयुक्त चिन्हित एवं भरे गये पदों के आधार पर गणना की जायेगी एवं यथासंभव जहां आवश्यक समझा जाय, वहां पात्रता क्षेत्र में विस्तार किया जा सकेगा। चूंकि वर्तमान में राज्यान्तर्गत किसी भी श्रेणी को पदोन्नति में आरक्षण अनुमन्य नहीं है। अतः दिव्यांगजनों की पदोन्नति हेतु उपयुक्त चिन्हित पदों पर प्रस्तर 12 में उल्लिखित रोस्टर के अनुसार गणना की जायेगी।

12. दिव्यांग आरक्षण हेतु रोस्टर का रखरखावः–

(क).राज्याधीन सेवाओं में दिव्यांगताग्रस्त व्यक्तियों का उपयुक्त चिन्हित पदों के सापेक्ष सीधी भर्ती हेतु समूह "ख" "ग" एवं "घ" के पदों का 100 बिन्दुओं वाला पृथक–पृथक रोस्टर संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा तैयार किया जायेगा। इसी प्रकार पदोन्नति के पदों हेतु समूह "क" "ख" "ग" एवं "घ" के पदों का 100 बिन्दुओं वाला पृथक–पृथक रोस्टर संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा तैयार किया जायेगा।

(ख).नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा तैयार रोस्टर में 100 बिन्दुओं को चार खण्डों में विभाजित किया जायेगा:–

(क)	अन्धता और निम्न दृष्यता	रोस्टर क्रमांक 25
(ख)	बधिर और कम सुनाई देना	रोस्टर क्रमांक 49
(ग)	चलन दिव्यांगता, जिसके अन्तर्गत परा मस्तिष्क घात, ठीक किया गया कुष्ठ रोग, बौनापन, अम्ल हमले से पीड़ित और पेशीय दुर्विकास है	रोस्टर क्रमांक 75
(घ)	आटिज्म, बौद्विक दिव्यांगता, सीखने में विशिष्ट दिव्यांगता और मानसिक रोग।	रोस्टर क्रमांक 98

या

उपरोक्त से क से घ के अधीन दिव्यांगताओं से युक्त व्यक्तियों से बहु दिव्यांगता, जिसके अन्तर्गत बधिर–अंधता, जैसी भी स्थिति हो;

परन्तु यदि किसी प्रखण्ड में चिन्हित दिव्यांगता की श्रेणी का अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एक बार के लिए अगली श्रेणी की दिव्यांगता से रिक्ति को भरा जा सकेगा। ऐसी भरी गयी रिक्ति का समायोजन अगले चयन वर्ष अथवा चयन वर्षों में कर लिया जायेगा। यदि दिव्यांग आरक्षण के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों के सापेक्ष पदोन्नति हेतु अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो ऐसी रिक्ति को अन्य सामान्य अभ्यर्थी से भरा जा सकता है किन्तु अगले चयन वर्ष में पुनः दिव्यांग अभ्यर्थी पर विचार किया जायेगा। इसी प्रकार सतत् प्रक्रिया जारी रहेगी।

19. **मांगकर्ता प्राधिकारी द्वारा प्रमाण–पत्रः–**

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग आदि के माध्यम से अथवा अन्य रीति से पद पर चयन हेतु मांगपत्र प्रेषित करते समय निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत अनिवार्य होगाः–

''प्रमाणित किया जाता है कि इस मांगपत्र को भेजते समय दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में निहित सुसंगत प्राविधानों का पालन किया गया है तथा दिशा–निर्देश के प्रस्तर 12 में उल्लिखित रोस्टर चक्र का पालन किया गया है।''

भवदीया,

/

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्याः–392 / XXX(2) / 2020 / 30(05)2014 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री , उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव / सचिव(प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
5. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
7. आयुक्त, निःशक्तजन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9. अधिशासी निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
11. प्रभारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह)
उप सचिव।